उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर
ज्ञापन

क्रमांक B/3254 चार–4–9/06 IV जबलपुर दिनांक 02/जुलाई 2019.

प्रति,

(1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
समस्त (म0प्र0)

(2) प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
समस्त (म0प्र0)

विषयः– न्यायिक अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्त एवं सेवा से पृथक किये जाने के पश्चात् जमा किये गये फर्नीचर के संबध में।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक फा.क्र 1941/2018/21–ब(1) दिनांक 15.10.2018.

–00–

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषयांर्न्तगत संदर्भित पत्र आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक फा.क्र 1941/2018/21–ब(1) दिनांक 15.10.2018.के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

टीपः–रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg (IT)(SA)/2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा सामान्य प्रशासनिक आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश/ज्ञापन की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

01.07.19
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य/अधोसंरचना)

पृष्ठांकन क्रमांक B/3255 चार–4–9/06 IV **जबलपुर दिनांक** 02**/जुलाई 2019**

प्रतिलिपिः–

अनुभाग अधिकारी (पेंशन/बजट/लेखा) उच्च न्यायालय (म0प्र0) जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

01.07.19
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य/अधोसंरचना)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

फा. क्र 1941 / 2018 / 21–ब(1)

भोपाल, दिनाक 15 10 2018

प्रति,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय
जबलपुर

विषयः– न्यायिक अधिकारियों द्वारा सेानिवृत्त एवं सेवा से पृथक किये जाने के पश्चात जमा किये गये फर्नीचर के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु।

सदर्भः– रजिस्ट्री का ज्ञापन क्रमाक A/735/चार-4-8/2018 दिनाक 10 अप्रैल 2018

उपरोक्त विषय एव संदर्भ मे चाहेनुसार विभागीय अभिमत निम्नानुसार है:–

जहाँ तक प्रथम बिन्दु का संबंध है कि किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त या सेवा से पृथक किये जाने पर आवासीय कार्यालय के लिए क्रय किया गया फर्नीचर 5 वर्ष के अन्दर जमा किया जाता है तो उसके विनियम के संबंध में अभिमत इस प्रकार है:–

पहला – ऐसे फर्नीचर को कोई ऐसा न्यायिक अधिकारी लेने का विकल्प चुनता है जिसे कि 90 हजार रूपये प्रदान नहीं किए गए हैं, उस स्थिति में फर्नीचर के शेष अवधि के लिए उसे 90 हजार की पात्रता नहीं होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी ऐसे न्यायिक अधिकारी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के बाद फर्नीचर कार्यालय में जमा कर दिया गया हो और उसे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी ने लेने का विकल्प चुना तब 3 वर्ष तक उसे 90 हजार की पात्रता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अनुपातिक मूल्य का प्रशन नहीं होगा।

दूसरा – यदि उक्त फर्नीचर को कोई लेने का विकल्प नहीं चुनता है तब उक्त फर्नीचर को सार्वजनकि नीलामी द्वारा विनिमय किया जावे।

बिन्दु क्रमांक 2 का प्रश्न है– यदि कोई न्यायिक अधिकारी उक्त फर्नीचर को क्रय करता है तो उस पर सार्वजनिक नीलामी के नियम लागू होंगे, ऐसी स्थिति में भी अनुपातिक मूल्य का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अतः उपरोक्त अभिमत समुचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(गंगाचरण शर्मा) 15.10.18
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग